न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरू

बइजलास इन्द्राज सिंह (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 85 सन् 2019

निर्णय दिनांक – 16.12.2019

भगवान पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

—— प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू

—— अप्रार्थी

1. कमला
2. कलावती
3. राजबाला
4. रोशनी
5. शांति

पुत्रीगण रामजीलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम चैनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

—— गौण अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्त. धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –

विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत पचार, प्रेम बीका वास्ते प्रार्थी

भैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 1

विद्वान अधिवक्ता श्री उम्मेद पूनियां वास्ते गौण अप्रार्थी संख्या 1 ता 5

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी पैमाईश व पत्थरगढ़ी अन्त. धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 788/160 तादादी 4.2998 हैक्टेयर, खसरा संख्या 794/65 तादादी 3.7939 हैक्टेयर, खसरा संख्या 798/673 तादादी 1.2646 हैक्टेयर, कुल तादादी 9.3583 हैक्टेयर वाके तोही चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी तथा गौण अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थी तथा गौण अप्रार्थीगण अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं जो विवादित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को पड़ौसीयान व अन्य लोग जो बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो आये दिन प्रार्थी तथा गौण अप्रार्थीगण की खातेदारी उक्त कृषि भूमि की सींव को दबाकर अतिक्रमण करने की फिराक में रहते हैं तथा प्रार्थी तथा गौण अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की सीमा को दबाकर उक्त सीमाओं पर अतिक्रमण कर रखा है तथा सीमा विवाद बनाये हुये हैं। प्रार्थी तथा गौण अप्रार्थीगण ने अपने पिता की मृत्यु के बाद कई बार स्वयं भी तथा अन्य लोगों से भी पडौसीयान व अन्य लोग को कहा व कहलवाया कि वे प्रार्थी तथा गौण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमा को ना दबाये

तथा पुख्ता सीमा चिन्ह् कायम कराकर सीमाज्ञान करवा लेने देंवे व प्रार्थी तथा गौण अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद ना बनाये रखें तो पडौसीयान व अन्य लोग ने विवादित उक्त कृषि भूमि वाके रोही चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरू पर दिनांक 08.02.2019 को ऐसा करने व कराने से साफ इन्कार कर दिया जिस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा, आदि आदि व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पक्ष को नियमानुसार तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई खंड़न प्रस्तुत नहीं किया गया। गौण अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 लिए अधिवक्ता उपस्थित आए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी से वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रकरण निर्देश करवाकर अपने खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिह्न पैमाईश के मुताबिक कायम करवाकर पत्थर गढ़ी करवाए जाने के सम्बंध में है। प्रार्थी द्वारा सीमा विवाद होना अंकित किया गया है, ऐसे में मौका पर प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 788/160 तादादी 4.2998 हैक्टेयर, खसरा संख्या 794/65 तादादी 3.7939 हैक्टेयर, खसरा संख्या 798/673 तादादी 1.2646 हैक्टेयर, कुल तादादी 9.3583 हैक्टेयर वाके रोही चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चूरु की योग्य टीम से पैमाईश पुख्ता सीमा चिह्न से पक्षकारान की उपस्थिति में करके सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 योग्य टीम गठित करके रोही ग्राम चैनपुरा छोटा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 788/160 तादादी 4.2998 हैक्टेयर, खसरा संख्या 794/65 तादादी 3.7939 हैक्टेयर, खसरा संख्या 798/673 तादादी 1.2646 हैक्टेयर, कुल तादादी 9.3583 हैक्टेयर की मौका पर पुख्ता पैमाईश चिन्ह् से पैमाईश पक्षकारान की उपस्थिति में की जाकर सीमाओं की पुख्ता निशानदेही दी जाकर चारों सीमाओं पर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाई जावे। तहसीलदार राजगढ़ को हिदायत दी जाती है कि वह आदेश की पालना करवाकर जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)